32

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1437–एक/2005 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 7–6–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 39/1998–98 अपील

जगन्नाथ पुत्र किशुनलाल कुशवाह
ग्राम लीलहर तहसील कैलारस जिला मुरैना --- अपीलॉट

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन
2– प्रबंधक मुरैना सहकारी शकर
कारखाना मर्या0कोलारस जिला मुरैना --रिस्पाडेन्टस

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(रिस्पा0 के अभिभाषक श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 8 –10 –2016 को पारित)

यह अपील आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा के प्रकरण कमांक 39/1998–98 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–6–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पा0क0–2 ने कलेक्टर मुरैना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि विमुक्त जाति सामूहिक कृषि सहकारी संस्था ग्राम धोंधा का विलय कारखाने में हो जाने से ग्राम धोंधा तहसील जौरा स्थित 82 हैक्टर भूमि दूर हो गई है जिससे उन्नत किस्म का गन्ना उत्पन्न करने में व्यवधान है अतः कारखाने की सहूलियत के लिये मौजा

कैलारस स्थित शासकीय चरनोई भूमि रकबा 27-673 का विनियम कर दिया जावे। कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 3/1997-98 अ 19 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनॉक 16-12-1997 से भूमि का विनिमय करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध एक अपील अपीलांट ने एंव द्वित्तीय अपील मुरारीलाल आदि ने आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 39/97-98 अपील पर एंव 11/2002-03 अपील पर पंजीबद्ध हुई। आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने पक्षकारों को सुनकर संयुक्त आदेश दिनॉक 7-6-2005 पारित किया तथा दोनों अपील अस्वीकार कर दीं एंव कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनॉक 16-12-1997 को पुष्टिकृत किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांट व्दारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलांट के अभिभाषक तथा रिस्पा0 के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर मुरेना व्दारा वाद विचारित भूमि का विनिमय प्रकरण कमांक 3/1997-98 अ 19 पारित आदेश दिनॉक 16-12-1997 से किया है और यह आदेश उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 20 के अंतर्गत पारित किया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अवलोकन से स्थिति यह है राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 20 के अंतर्गत पारित आदेशों की अपील कंडिका 30 के अंतर्गत

कलेक्टर व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त को उसके वाद निगरानी राज्य शासन को होगी, जिसके कारण राजस्व मण्डल में प्रस्तुत यह द्वित्तीय अपील अग्राह्य है क्योंकि इन नियमों के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील का प्रावधान है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अप्रचलन-योग्य पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा के प्रकरण कमांक 39/1998-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-6-2005 यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर